राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का प्रथम दिवस [संख्या १

सोमवार, १० फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुरुमुख निहालसिंह, राज्यपाल राजस्थान का अभिभाषण

राज्यपाल (श्री गुरुमुख निहालसिंह) : यदि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो बैठे-बैठे भाषण दूं।

(मौन स्वीकृति के पश्चात्)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण,

आप लोगों का विधान सभा के इस अधिवेशन में स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। पिछली बार करीब एक साल पहले, जब आम चुनावों के शीघ्र पश्चात् आप लोग यहां सम्मिलित हुए थे उस वक्त मैंने आपसे दो शब्द कहे थे। आपको शायद याद होगा कि उस समय मैंने आपका ध्यान उस परम निष्ठा और विश्वास की ओर जो जनता ने आप में रखा है और उन कठिन लक्ष्यों की ओर जो कि हमारे सामने थे आकर्षित किया था। अब चूंकि दूसरी योजना के दूसरे वर्ष का अन्त समीप आ रहा है, हमारे लिए यह उचित ही होगा कि हम ज़रा रुकें और जो कामयाबियां हमने हांसिल की हैं और जो काम हमारे सामने हैं उन पर एक नजर डालें।

२. शान्ति और सुव्यवस्था विकास के लिए परम आवश्यक हैं और इसलिए सर्व प्रथम मैं इसी पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। पूरे साल के दौरान में शांति व व्यवस्था सन्तोषजनक रही। अपराधों में उल्लेखनीय कमी हुई और उनकी रोक-थाम और जांच-पड़ताल के कार्य में काफी सुधार हुआ। डाकुओं की समस्या की ओर, जो अब हमारे लगभग पूर्ण नियन्त्रण में है, समुचित ध्यान दिया गया। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कहीं-कहीं दुर्घटनाएं होने की सूचनाएं मिली हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमने इस आतंक का समुचित रूप से मुकाबला नहीं किया। सीमा पर होने वाले सोने और अफीम के अवैध व्यापार की रोक-थाम की ओर भी हमने अधिकाधिक ध्यान दिया। पुलिस दल की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स पर विशेष जोर दिया गया। सरकार

(राज्यपाल)

ने हाल ही में पुलिस दल को कई रियायतें दी हैं, जैसे कि पुलिस अस्पतालों में भर्ती हुए रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों के खुराक भत्ते में वृद्धि, सब-इन्स्पेक्टरों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को अपने-अपने हलकों में दौरे करने के लिए निश्चित् यात्रा-भत्ता आदि। ऐसी आज्ञा भी जारी करदी गई है कि मुठ-भेड़ों में घायल होने वाले पुलिस-दल के जवान जितने समय तक अस्पतालों में रहें वह पूरा समय उनकी ड्यूटी में शुमार किया जाय। पुलिस-दल को पुराने अस्त्र-शस्त्रों के स्थान पर आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। मोटर गाड़ियों की अधिकाधिक उपलब्धि से पुलिस-दल की गतिशीलता में वृद्धि हुई है।

३. इस साल भ्रष्टाचार-विरोधी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और स्पेशल इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन एक अलग भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग संगठित किया गया। एक उच्च-प्रशासकीय अधिकारी को विभागीय जांचों का कमिश्नर और न्यायिक सेवा के एक उच्च अधिकारी को अतिरिक्त कमिश्नर नियुक्त किया गया। विभागीय जांच करने और विभागीय अपराधियों के विरुद्ध फौजदारी अदालत में कार्यवाही चालू करने के नियमों में भी संशोधन किया गया।

४. विकास में सुचारुरूप से प्रगति हुई है। समाप्त होने वाले वर्ष में दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव दृढ़ आधार शिला पर रख दी गई है जो निर्धारित लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति कर रही है। भाखरा परियोजना का राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था के लिये होने वाला समूचा निर्माण-कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। कुछ छोटी-मोटी नहरों और सड़कों पर बनने वाले पुलों का निर्माण-कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। कुछ छोटी-मोटी नहरों और सड़कों पर बनने वाले पुलों का निर्माण-कार्य आगामी वर्ष में पूरा हो जायगा। इसी प्रकार कोटा बांध और चंबल परियोजना का निर्माण-कार्य पूरी प्रगति पर है और उसे निश्चित् अवधि में पूर्ण करने में कोई रुकावट नहीं आयेगी। मध्यम और छोटे निर्माण-कार्यों की प्रगति संतोषजनक रही है और यह अनुमान है कि १९५७-५८ में ऐसे कार्यों से १.०४ लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई हुई है।

५. भारत सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान कैनाल निर्माण योजना की स्वीकृति, राज्य के सिंचाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस परियोजना से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी। यह परियोजना जिस रूप में अभी मंजूर हुई हैं उसमें ६६ करोड़ रुपए का खर्चा होगा जिसके लिये दूसरी योजना की शेष अवधि में खर्चा २२ करोड़ रुपए तक सीमित होगा। आशा की जाती है कि यह परियोजना उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक ढांचे का स्वरूप ही बदल देगी और उसके फलस्वरूप यह राज्य, जहां की परम्परा से अकाल पड़ते रहे हैं और अन्न का अभाव रहा है, देश के शेष भाग को भारी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात करने में समर्थ हो सकेगा।

६. हालांकि मैंने पहले सिंचाई के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। किन्तु आर्थिक विकास हेतु किसी योजना की सफलता राज्य द्वारा उसकी भूमि, श्रम और पशुधन का अधिकाधिक लाभप्रद प्रयोग पर निर्भर रहती

(राज्यपाल)

है। हम सब लोग यह जानते हैं कि कृषि-उपज में जो वृद्धि हुई है वह किस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता की कुंजी बनी है। यह आशा की जाती है कि राजस्थान में, पिछले साल हुई खाद्यान्न की ४१ हजार टन की वास्तविक बढ़ोत्तरी की तुलना में, १९५७—५८ के अन्त तक १.०५ लाख टन की अतिरिक्त वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार हम अपने द्वारा निश्चित् किये गये लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग पूरी तरह सफल हो जायेंगे। यह सिंचाई के छोटे साधनों की पर्याप्त तरक्की और अच्छे बीजों की उपलब्धि के कारण संभव हुआ है। १९५७-५८ में करीब २.७५ लाख मन गेहूं बीज के रूप में बांटा गया है। खेती की सुधरी हुई प्रक्रियायें, स्थानीय खाद साधनों का उचित प्रयोग और रासायनिक खादों का अधिकाधिक प्रयोग, जो कि राज्य की ४३ प्रतिशत आबादी में फैले हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा किया जा रहा है, अब फल देने लगे हैं। जहां तक कि इन खण्डों में वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न है, चालू साल में बहुत प्रगति हुई है। पिछले साल ८,००० एकड़ भूमि सिंचाई योग्य की गई थी उसकी तुलना में इस साल २२,००० एकड़ से अधिक भूमि सिंचाई योग्य बनाई गई है। विकास खण्डों में सिंचाई के छोटे साधनों के लिए बजट में निर्धारित राशि में से ९२ प्रतिशत राशि काम में लाई जा चुकी है और यह प्रतिशत भारत में किसी भी राज्य में किये गये व्यय के प्रतिशत से अधिक है। आलोच्य वर्ष में विकास खण्डों में ग्राम नेताओं के लिये नियमित रूप से शिविर संगठित किये गये। करीब १५०० प्रगतिशील माने हुए ग्राम नेता काश्तकार शिविरों में उपस्थित हुए और उन्होंने कृषि-उपज बढ़ाने की रीतियों और उपायों के बारे में आपस में विचार विनिमय किया। विचार विनिमय के कारण उनमें अपने ग्रामीण भाइयों को खेती की सुधरी हुई प्रक्रियायें अपनाने में सहायता देने का उत्साह देने का उत्साह पैदा हुआ है। इन शिविरों ने हमारे देश में कृषि-उपज की वृद्धि की महत्ता का अनुभव कराने में सहायता दी है। बहुत से विकास-खण्डों में अतिरिक्त कृषि-उपज के गांववार लक्ष्य बनाये गये हैं और यह आशा की जाती है कि कुछ विकास-खण्डों में जहां अधिक सिंचाई होने की व्यवस्था है, अधिक उपज के कुटुम्बवार लक्ष्य भी कायम किये जायेंगे।

७. हमने १९५८-५९ में १.९ लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि-जन्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रसंग में और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने में कृषि-उपज के महत्व को देखते हुए इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हर संभव प्रयत्न किया जायेगा।

८. खेती सम्बन्धी दीर्घकालीन सुधार के लिए उन अन्वेषण केन्द्रों में, जो इस काम में लगे हुए हैं, विस्तार कर दिया गया है और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी कायम कर दी गई हैं।

९. राजस्थान पशुधन के विशेष महत्व को निगाह में रखते हुए, पशुपालन का प्रोग्राम एक सर्वांगपूर्ण पशुपालन डाइरेक्टोरेट को सौंप दिया गया है। १९५७—५८ के अन्त तक इस डाइरेक्टोरेट के अधीन ५९ पशु चिकित्सालय तथा पशुओं के लिये १६० डिस्पेन्सरियां हो जायेंगी और आगामी वर्ष के अन्त तक, राजस्थान से पशुओं की महामारी (रिण्डरपेस्ट) प्रायः समूल नष्ट हो जायेगी।

(राज्यपाल)

भेड़ों तथा ऊन के सुधार की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आशा है कि ऊन के वर्गीकरण से, जो कि ऊन उतारने के सामुदायिक केन्द्रों में किया जायेगा, ऊन की किस्म में विशेष सुधार होगा।

१०. ग्राम्य ऋण व्यवस्था (Rural Credit) के पुनर्गठन की ओर बहुत ध्यान दिया गया है और गांवों में सहकारी भावना में लगातार वृद्धि हो रही है। सहकारी आधार पर ऋण व्यवस्था में काफी प्रगति हुई है। दीर्घकालीन कर्जे देने के लिये एक सेन्ट्रल लैन्ड मोरगेज बैंक स्थापित किया गया है। सहकारी विक्रय व्यवस्था को, एपेक्स मारकेटिंग सोसायटी के निर्माण तथा स्टेट वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना से काफी बल मिला है। यह आशा की जाती है कि १९५७-५८ के अन्त तक ९ नये केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित हो जायेंगे और १९५७-५८ के अन्त तक हमारे राज्य के २६ जिलों में से २० जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक कायम हो जायेंगे।

११. भूमि सुधारों की ओर सरकार का विशेष ध्यान बराबर लगा हुआ है क्योंकि प्रथम तो वे कृषि विकास के लिए अपेक्षित सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं और दूसरे राज्य की अधिकांश जनता के जीवन पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ५,०००) रु० अथवा अधिक आय वाली जागीरों का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है और जमींदारी उन्मूलन के लिये एक विधेयक शीघ्र ही विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जायगा। सीलिंग्स कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है और जल्द ही सदन के समक्ष रखी जायेगी। ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसमें खेती नहीं हो रही है, उसमें खेती कराने की दृष्टि से लैन्ड यूटीलाइजेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। चकबन्दी का कार्य लगातार प्रगति पर है। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत और महत्वपूर्ण मंडियों में जमीन देने और बेचने के सम्बन्ध में नियम तैयार किये जा चुके हैं। रिडम्पशन ऑफ रूरल इन्डैटेडनैस एक्ट के अन्तर्गत अदालतें भी कायम की जा रही हैं।

१२. राजस्थान में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना विशेषतः आवागमन के साधनों में सुधार और सस्ती बिजली की उपलब्धि पर निर्भर है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, विदेशों से बिजली सम्बन्धी साज सामान मंगाने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति बन जाने के कारण काफी चिन्ता उत्पन्न हो गई थी किन्तु सन्तोष का विषय है कि भारत सरकार ने इस विषय में हमें काफी सहयोग व सहायता प्रदान की है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। भाखरा लाइन्स से जो बिजली हमें मिलने को है उसके लिये जरूरी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति हाल ही में दे दी गई है और यह आशा है कि हम १९५९ के आरम्भिक काल में अपने हिस्से की बिजली का उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार, थरमल पॉवर पर खर्च करने के लिये पूरी विदेशी मुद्रा की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त प्लाट और मशीनों का निकट भविष्य में शीघ्र ही लदान होने वाला है। यह सब सामान १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक हमें प्राप्त हो जायेगा।

१३. देहातों में बिजली की रोशनी देने के कार्य-क्रम के अन्तर्गत १७ डीज़ल जैने-

(राज्यपाल)

रेटिंग सैट्स भारत सरकार से प्राप्त हो गये हैं। इन सैट्स को लगाने का काम हाथ में ले लिया गया है और अधिकांश कार्य १९५८–५९ में पूरा हो जायेगा।

१४. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८ के (स्टेच्यूटरी) प्रावधानों के अन्तर्गत, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कायम कर दिया गया है जो शक्ति उत्पादन तथा वितरण का कार्य अपने हाथ में लेगा।

१५. संचार साधन न केवल उद्योग विकास के लिए ही बल्कि योजना के प्रत्येक अंग, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य राष्ट्र निर्माण कार्यों की सफलता के लिए बहुत महत्व रखते हैं। आशा की जाती है कि १९५७–५८ में नई सड़कें बनाने व वर्तमान सडकों के सुधार में लगभग १.७ करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा और करीब ७०० मील लम्बी नई सड़कें बन जायेंगी।

१६. जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि रासायनिक खाद का उत्पादन निजी उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने तो यहां तक कहा है कि ऐसी एक फैक्ट्री खोलने के लिए सांभर एक सम्भावित स्थान है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि एमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए हनुमानगढ़ तथा एमोनियम क्लोराइड व सोडा ऐश (Soda ash) के उत्पादन के लिए सांभर बहुत ही उपयुक्त स्थान हैं। इन दोनों स्थानों की सम्भावित उत्पादन क्षमता की जांच भी की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुकर्जी कमेटी ने हनुमानगढ़ के बारे में यह रिपोर्ट दी हैं कि वहां अमोनियम सल्फेट के उत्पादन की लागत सिंदरी के मुकाबले में काफी कम होगी। इस प्रकार श्री आधिया ने यह रिपोर्ट दी है कि सांभर में सोडा ऐश के उत्पादन की लागत अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत कम होगी। इन योजनाओं में निजी उद्योग–पतियों की रुचि उत्पन्न करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। रासायनिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और निकट भविष्य में भारत में ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिये पर्याप्त क्षेत्र होगा।

१७. भारत सरकार ने, उदयपुर में १५,००० टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का जिन्क स्मेल्टर प्लांट लगाने के लिये मेसर्स मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, को लाइसेंस दिया है। ऐसे प्लांट की स्थापना के लिए पहली आवश्यकता खदान उत्पादन में वृद्धि करना है। जावर में खानों का उत्पादन अभी हाल तक ३०० टन प्रतिदिन था जो कि अब बढ़कर ५०० टन प्रतिदिन हो गया है और उत्पादन क्षमता को १००० टन प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिये आवश्यक मशीनरी के लिए कम्पनी ने ऑर्डर दे दिया है।

१८. राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। पहले ऐसे उद्योग केवल हस्तकला तक ही सीमित थे, किन्तु अब अन्य छोटे उद्योगों, जैसे साइकिलों, सीने की मशीनों, सीने की मशीनों के पुर्जों आदि के निर्माण का भी समारम्भ हो गया है। १९५६-५७ में २३९ छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य सरकार ने ११.६८ लाख रुपयों का ऋण दिया था और १९५७–५८ में कुल मिलाकर ११.५२

Page No.6

(राज्यपाल)

लाख रुपयों के ऋण की मन्जूरी दी जा चुकी है। यह देखने के लिये कि ऋणों का उचित उपयोग हो रहा है, करीब-करीब सारे जिलों में जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

१६. जयपुर में प्रथम औद्योगिक संपदा का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस संपदा में फिलहाल २४ प्रतिष्ठान होंगे। तमाम जमीन साहसिक उद्योगपतियों द्वारा ले ली गई है। दूसरी संपदा अजमेर नगर के पास माखूपुरा के लिये मंजूर होने वाली है। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे भीलवाड़ा, गंगानगर, कोटा और जोधपुर में भी ऐसी ही औद्योगिक संपदायें स्थापित की जावेंगी।

२०. इन वर्षों में खादी का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। वास्तव में राजस्थान, भारत के खादी उत्पादन करने वाले अग्रणी क्षेत्रों में से एक होने का दावा कर सकता है। १९५४-५५ में ३३ लाख रुपये की खादी का उत्पादन हुआ जिसके मुकाबले में १९५६-५७ में लगभग ८० लाख रुपये की खादी का उत्पादन हुआ था। अप्रेल, १९५७ से नवम्बर, १९५७ तक के आठ महीनों में ५७ लाख रुपयों की खादी तैयार की गई है। खादी के और अधिक विकास में राज्य सरकार हर संभव प्रोत्साहन दे रही है। जन-जातीय क्षेत्रों में खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सक्रिय साधन काम में लिये जा रहे हैं।

२१. राज्य में खनिज पदार्थों का उत्पादन भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और मौजूदा साल में रॉयल्टी से होने वाली आय लगभग ४० लाख रुपयों से बढ़कर ५० लाख रुपये हो गई है। राजस्थान से कच्चे लोहे का निर्यात केवल तीन साल पूर्व ही शुरू हुआ था परन्तु इस थोड़े से समय में ही निर्यात का अंक १ लाख टन प्रति वर्ष से अधिक बढ़ चुका है। पलाना में होने वाले लिगनाइट उत्पादन को, जो इन सालों में बहुत पिछड़ गया था, तेजी से बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में हम एक अत्यंत कुशल माइन मैनेजर की सेवायें प्राप्त करने में सफल हो सके हैं। उन्होंने मासिक उत्पादन में २००० टन प्रति मास से ४००० टन प्रति मास तक वृद्धि करने में सफलता प्राप्त करली है। हम आशा करते हैं कि यहां के अन्य संभावित क्षेत्रों में नये शैफ्ट्स खुलने के साथ साथ खनिज उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती जायेगी।

२२. सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में १९५७-५८ साल में सर्वतोमुखी प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में ६०० नये प्राइमरी स्कूल चालू वर्ष में खोले गये थे, १०० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में और २५ मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया गया। इसके अलावा २०० प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदला गया। दो इन्टर कॉलेजों को डिग्री कॉलेज बनाया गया और जयपुर में राजस्थान कॉलेज के नाम से नया डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में क्रमानुसार साहित्य, संगीत और ललित कलाओं की अकादमियां स्थापित की गई हैं। राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल की भी स्थापना हो गई है और सेकण्डरी एजुकेशन तथा टैक्निकल एजुकेशन के बोर्ड भी कायम कर दिये गये हैं।

२३. जोधपुर के एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग

(राज्यपाल)

के डिग्री कोर्स के लिये हर साल ६५ विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है। यह विचार है कि इसके लिये ६० की संख्या रखी जाय और इस कॉलेज में हर साल ६० विद्यार्थियों के लिये इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनिरिंग के कोर्स शुरू कर दिये जायें—यानी हर एक शाखा में ३० विद्यार्थी लिये जायें। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सों के शुरू करने के कारण उस कॉलेज से डिप्लोमा कोर्सों को लाजमी तौर से हटाना होगा और इस प्रयोजन के लिये जोधपुर में एक अलग पोलीटेक्निक संस्था की स्थापना करनी होगी। यह भी विचार किया जा रहा है कि बिड़ला कॉलेज, पिलानी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और टेली-काम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के मौजूदा कोर्सों के अलावा ६० विद्यार्थियों के लिये सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स भी जुलाई, १६५८ से शुरू किया जाय। एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में २५ विद्यार्थियों के लिये जो माइनिंग इन्जीनियरिंग का डिग्री कोर्स इस साल से शुरू किया गया था, वह जारी रहेगा और जोधपुर में शुरू किया गया माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स जुलाई, १६५८ से उदयपुर को स्थानान्तरित कर दिया जायगा। माइनिंग इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों की संख्या जुलाई, १६५८ से २० और बढ़ायीं जायगी। इसके अलावा, उदयपुर की पोलीटेक्निक संस्था में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सों के लिये भी विद्यार्थी भर्ती किये जायेंगे। इस तरह अगले साल कुल १४० विद्यार्थियों को उदयपुर में भर्ती किया जा सकेगा। अजमेर में भी एक पोलीटेक्निक संस्था जुलाई, १६५८ से शुरू की जा रही है जहां पर ६० विद्यार्थियों को सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स के लिये ट्रेनिंग दी जायगी।

२४. इस आशय की आज्ञाएं जारी हो चुकी हैं कि तमाम स्कूलों के साथ जमीन होनी चाहिये, चाहे उनमें कृषि पढ़ाई जाती हो या नहीं, चूंकि यह महसूस किया जाता है कि चाहे कृषि विशेष विषय के रूप में नहीं भी पढ़ाई जाय फिर भी लड़कों को कृषि कार्य में रुचि रखनी चाहिये और यह उनकी शिक्षा का एक अंग होना चाहिये।

२५. चिकित्सा के कार्यक्रम के अधीन बीमारी की चिकित्सा तथा उसके निवारण की सेवायें दिन प्रतिदिन जनता तक, विशेषतः ग्रामीण जनता तक, पहुंचती जा रही हैं। १६५७-५८ में १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। अधिक विद्यार्थियों को भर्ती करने के लिये जयपुर मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया गया है। राज्य से मलेरिया को समूल नष्ट करने के कार्यक्रम को भी हाथ में लेने का निश्चय किया गया है। आयुर्वेदिक कार्य-क्रम के अनुसार ४० औषधालय खोले गये हैं। आयुर्वेदिक कॉलेजों का विस्तार कर दिया गया है और अध्ययन के लिए एक पूरा पंचवर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। जन स्वास्थ्य कार्य-क्रम के अन्तर्गत दिवाली के पूर्व समस्त विकास-खंडों में एक स्वास्थ्य पखवाड़े का आयोजन किया गया था। दस हजार से अधिक दुर्बल व अर्ध-पोषित बच्चों को इलाज के लिये छांटा गया था इनमें से २,५०० का अब तक इलाज हो चुका है और उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एक स्वास्थ्य कोष भी कायम किया गया है जिसके लिये

(राज्यपाल)

५ लाख रुपये इकट्ठे किये जा चुके हैं। स्कूल स्वास्थ्य सेवा की एक प्रयोगात्मक योजना को आखिरी रूप दिया जा रहा है और वो जल्द ही शुरू की जायगी। दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलने के विषय में सलाह देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई पटेल कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ गई है। पटेल कमेटी ने सिफारिश की है कि दूसरा मेडिकल कॉलेज बीकानेर में खोला जाये। अब इस स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया गया है और राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार से इसके लिये स्वीकृति और अपेक्षित मदद लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

२६. विकास तथा सुखमय जीवन बिताने की बढ़ती हुई चेतना के साथ काफी तादाद में तथा स्वास्थ्यप्रद मकानों की व्यवस्था करने की समस्या बलवती हो गई है। लघु आय वर्ग हेतु मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत १९५७-५८ में मकानों के निर्माण के लिये २२ लाख रुपये का ऋण लघु आय वाले लोगों को दिया गया है। इसी तरह १९५७-५८ में राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर औद्योगिक मजदूरों के लिये ११२२ मकान बनाने के लिये लगभग १४ लाख रुपये खर्च किये जाने की उम्मीद है। ये मकान मजदूरों को किराये पर दिये जायेंगे। गांवों में मकानों के सुधार की, गंदी बस्तियों की सफाई की और हरिजनों के लिए मकानों की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह आशा की जाती है कि ये कार्य १९५८-५९ से हाथ में ले लिये जायेंगे।

२७. औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में इस वर्ष में सराहनीय बात यह हुई कि श्रम अधिकारियों द्वारा ८०४ मामले समझौते के जरिये निपटाये गये। तालाबन्दी और हड़तालों से सन् १९५६-५७ में हुई ५५,२६२ कार्य-दिवसों (Man days) की हानि की अपेक्षा इस वर्ष केवल २०,९०६ कार्य-दिवसों की हानि हुई है। १९५७-५८ में ४ श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये जिनसे राजस्थान में ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या २० हो गई है।

२८. राज्य की पिछड़ी हुई जातियों की ओर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। उनके निमित्त निर्धारित कार्य-क्रम दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किये जा रहे हैं और उनके परिणाम, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, उत्साहवर्धक रहे हैं। पिछड़ी जातियों के आर्थिक उत्थान पर अधिकतर जोर दिया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को स्पेशल शिल्प कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

२९. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिये पर्याप्त पद सुरक्षित करने के प्रश्न के विषय में सरकार पूर्ण सतर्क रही है। यद्यपि इस संबंध में सन् १९५१ में ही समुचित आदेश जारी कर दिये गये थे तो भी अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। राज्य सरकार इस बात पर दृढ़ है कि उसकी आज्ञाओं का उसी भावना से जिससे वे जारी की गई हैं, पालन किया जाय। अतएव सरकार ने हाल ही में इन आज्ञाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व एक ऐसे विभाग पर, जो सीधे मुख्य मंत्री के अधीन कार्य करेगा, डालने का निश्चय किया है।

(राज्यपाल)

भर्ती की मांगों को ऐसे परिणामों में विभक्त करने की प्रवृति को रोकने के लिये जिससे कि निर्धारित १२।। प्रतिशत अथवा १५ प्रतिशत का हिसाब न लगाया जा सके, यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी विज्ञापित खाली पदों की संख्या चार या अधिक हो तो कम से कम एक पद आरक्षित रखा जाना चाहिये। नियुक्ति करने वाले राज्याधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले समस्त पदों की संख्या का वर्ष के अन्त में समाधान कर लेने की अनुमति होगी। ऐसी आज्ञाएं भी जारी कर दी गई हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की दशा में आयोग को भेजे जाने वाली प्रत्येक अधियाचना में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आया कोई पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के (उम्मीदवारों के) लिए आरक्षित रखा गया है और यदि उक्त अधि-याचना में ऐसा कोई उल्लेख न हो तो आयोग को अधिकार दे दिया गया है कि वह आरक्षित स्थानों का नियमानुसार हिसाब लगा कर, उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने की कार्यवाही करे। चूंकि अब तक आरक्षण के बारे मे जारी हुई आज्ञाओं के पर्याप्त परिणाम नहीं निकले हैं, सरकार ने ३१ मार्च, १९६० तक यथासंभव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में अधिकाधिक नियुक्त करने का निश्चय किया है, यद्यपि १९५८-५९ तथा १९५९-६० में नियुक्तियों की संख्या निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से अधिक भी हो जाये। अतएव नियुक्ति करने वाले समस्त प्राधि-कारियों को आदेश दे दिया गया है कि उन्हें ३१ मार्च, १९६० तक सामान्य उम्मीदवारों को नीचे लिखी श्रेणियों के पदों पर केवल तब ही नियुक्त करना चाहिये जब कि उन्हें निकटतम एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज कार्यालय से ऐसा प्रमाण-पत्र मिल जाय कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों का कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

(क) ऐसी अधीनस्थ सेवाएं जिनके लिये किन्हीं टेक्निकल योग्यताओं या अनु-भव की अपेक्षा न हो तथा जिनके लिये निर्धारित न्यूनतम शिक्षा मैट्रिक या इससे कम दर्जे की हो;

(ख) ऐसे अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक तथा सामान या निम्नतर श्रेणियों के अन्य लिपिक-पद जिनके लिये किसी टेक्निकल योग्यता या अनुभव की अपेक्षा न हो तथा जिनके लिये निर्धारित न्यूनतम शिक्षा मैट्रिक या इससे कम दर्जे की हो; और

(ग) चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जिनमें नियुक्ति के लिये किसी विशिष्ट प्रशिक्षण योग्यता या अनुभव की अपेक्षा न हो।

३०. सामाजिक तथा चारित्रिक उत्थान और अपमोचन सेवाओं (After-care services) के कार्यक्रमों में भी प्रगति हुई है। १९५७-५८ में अजमेर और उदयपुर में दो अपमोचन-गृह (After-care Houses) खोले जावेंगे। इनमें धौलपुर, कोटा, जोधपुर तथा बीकानेर में खोले गये चार आश्रय स्थानों से भेजी गई महिलायें रखी जायेंगी।

३१. जैसे-जैसे पंचवर्षीय योजना के विभिन्न कार्य-क्रमों में प्रगति होती जाती है वैसे-वैसे कुछ कठिन समस्यायें पैदा होती रहती हैं, परन्तु उनका संबंध मूल नीति व

Page No.10

(राज्यपाल)

प्रणाली से कम और प्रशासन एवं संघटन संबंधी प्रश्नों से अधिक होता है। शासन का केन्द्रीयकरण मौजूदा प्रशासन व्यवस्था की एक कमजोरी है। इसलिये भिन्न भिन्न स्तरों पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है और यह आशा की जाती है कि ऐसी आज्ञाएं निकट भविष्य में ही जारी करदी जायेंगी जिनके परिणामस्वरूप सत्ता का पर्याप्त विकेन्द्रीकरण हो जायेगा। सचिवालय के व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली विभाग की प्रक्रियायें जिलों तथा विभागीय कार्यालयों पर लागू की जा रही हैं ताकि कार्यालयों में काम के तरीकों का सुधार करने के लिये उपाय ढूढ़ने के हेतु सचिवालय में तथा दूसरे कार्यालयों में लगातार अध्ययन किया जा सके।

३२. पंचायतों के कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। म्यूटेशन संबंधी मामलों को निबटाने की शक्ति उन्हें सौंप दी गई है। पंचायत क्षेत्र से संग्रह किये जाने वाले भू-राजस्व के सामान्य प्रशासन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक १० फरवरी, १९५८ के अनुसार निम्नलिखित ३ प्रतिशत से ज्यादा राशि पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में दे दी गई है जिससे उनके नियंत्रण में रखी गई राजस्व राशि में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। राज्य के विभिन्न भागों में पंचायतों के पंचों, सरपंचों व सचिवों की ट्रेनिंग का विशेष आयोजन किया गया। विकास कार्यों के संपादन में पंचायतों को अधिकाधिक अधिकार देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ताकि पंचायतें देहाती क्षेत्रों के विकास कार्य-क्रम में महत्वपूर्ण भाग ले सकें। सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए नियुक्त अध्ययन समिति, जो आमतौर पर बलवन्तराय मेहता कमेटी के नाम से विदित है, की रिपोर्ट पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। सरकार विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त से सहमत है और सारे संबंधित हितों की सलाह एवं सहायता से यह तय करने के लिए कदम उठा रही है कि उक्त समिति की सिफारिशों को किस क्रम व तरीके से भलीभांति कार्यान्वित किया जाय।

३३. अब मैं विकास योजना के लिए धन प्राप्ति के साधनों के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार प्रकट करूंगा। दूसरे वित्त आयोग के निर्णय से १९५७-५८ में हमारे अर्थ साधनों में ३.३५ करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई। इस वृद्धि के अलावा एक और भी फायदा हमें हुआ है जिससे सहायता एवं पुनर्वास ऋणों का भुगतान हमें उतनी ही राशि तक करना पड़ेगा जितनी कि वसूली वास्तव में हो सके। वित आयोग के निर्णय से राज्य सरकारों के ऊपर अपने बजट को संतुलित करने की विशेष जिम्मेदारी आ गई है। जनता से ऋण प्राप्त करने में विशेष कठिनाइयों को देखते हुए भारी विकास व्यय के लिए धन प्राप्ति हेतु हमें अल्प बचत योजनाओं को सफल बनाने के लिए और अधिक प्रयत्न करना होगा। विचार विमर्श के समय यह प्रश्न आपके सामने आयेगा।

३४. दुर्भाग्यवश राज्य को इस वर्ष कुछ कठिन अभावग्रस्त स्थितियों का सामना करना पड़ा है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, झुन्झुनू, बीकानेर चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर और जालौर—इन १३ जिलों के ५,१३७ गांवों की ३८,४७९ वर्ग मील भूमि में बसी ४२,८६,७०६ की आबादी पर इस स्थिति का प्रभाव पड़ा है, जहां अनावृष्टि अथवा

(राज्यपाल)

असामयिक वृष्टि के कारण अभाव स्थिति घोषित कर दी गई है। संकटग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचने के लिए १६ लाख से भी ऊपर की रकम कलेक्टरों को दे दी गई है। पर्याप्त पैमाने पर सहायता कार्य शुरू किये जायेंगे और पानी तथा चारे की सप्लाई करने और प्रभावित लोगों को अकाल तकावी देने के लिए विशेष प्रबन्ध किये जायेंगे। ६२ सहायता कार्य तो पहिले से ही चालू हैं। इस स्थिति में एक संतोषप्रद बात यह है कि अनाज के भाव सारे राज्य में गिरते जा रहे हैं। इससे जनता की कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो जायेंगी।

३५. वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हो जाना है। इससे राज्य सरकार को न केवल सारे क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए बल्कि क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सहयोग व विनिमय से लाभ उठाने का एक और साधन प्राप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ समय में क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रों के समन्वित विकास में तथा विभिन्न राज्यों के बीच पैदा होने वाले सारे मुद्दों तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिये शक्तिशाली माध्यम हो जायेंगी।

३६. सभा के समक्ष कितने ही महत्व पूर्ण विधेयक जैसे राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल, राजस्थान पुलिस बिल, राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल, राजस्थान लाइफ-स्टाक इम्प्रूवमेण्ट बिल, राजस्थान वेयर-हाउसेज़ बिल, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेण्ट बिल तथा राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेण्ट बिल पहिले से ही विचाराधीन हैं। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जो सदन के समक्ष आयेंगे वे—कृषकों की दुधारू मवेशियों को डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क किये जाने तथा बेचे जाने से मुक्त करने, राज्य पेंशनों के नियमन, नकद जागीरों के उन्मूलन, अभ्रक नियन्त्रण तथा नियमन और ग्रामदान यत्नों के संवटन इत्यादि से सम्बन्धित होंगे।

३७. राज्य की प्रशासनिक सेवा में आवश्यक विस्तार की ओर भी काफी ध्यान दिया गया है। इस सेवा के अधिकारियों के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु इमर्जेन्सी रिक्रूटमेण्ट किया जाना आवश्यक पाया गया। लोक सेवा आयोग के जरिये चालीस उम्मीदवार भर्ती किये गये जिन्हें इस सेवा में नियुक्त किया गया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा तथा राजस्थान अकाउण्ट सर्विस में भर्ती के लिये एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजित की गई थी। विभिन्न सेवाओं में काम करने वालों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उन्हें उपयुक्त ट्रेनिंग दिये जाने की भी व्यवस्था की गई। प्रशासनिक सेवा में भी नये भर्ती किये गये अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिये जोधपुर में एक आर. ए. एस. ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य की सेवाओं के एकीकरण में काफी प्रगति हुई है। कई सेवाओं के सम्बन्ध में अस्थाई सीनियोरिटी सूचियां प्रकाशित करदी गई हैं और उनके बारे में आपत्तियां आमन्त्रित की गई हैं। सचिवालय का व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली विभाग उपयोगी कार्य करता रहा है। चूंकि इस उपविभाग द्वारा आंकड़ों, निरीक्षणों, कार्यभार सर्वेक्षणों तथा मिसलों की जांच के जरिये एकत्र सामग्री से बहुत-सी महत्वपूर्ण व लाभदायक बातें

(राज्यपाल)

प्रकाश में आई हैं जिनसे कार्यालयों में व्याप्त अनेक कमियों को दूर करने में सहायता मिली है इसलिये यह तय किया गया कि इसकी प्रक्रियाओं का कतिपय डिवीजनों, जिलों तथा विभागों के कार्यालयों में विस्तार किया जाये।

३८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन की गई उत्साहवर्धक तरक्की को दृष्टि में रखते हुए मुझे पूर्ण आशा है कि राज्य की विभिन्न गतिविधियां उत्तरोत्तर बलवती होती जायेंगी। मुझे विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में हमारी योजना की सफलता के लिये अपेक्षित वित्तीय, प्रशासनिक व टेकनिकल साधन जुटाने की महत्वपूर्ण समस्या को प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। राजस्थान को समृद्ध बनाने के कठिन कार्य में तथा इस अधिवेशन के विचार विमर्श में आपको पूर्ण सफलता मिले, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२.१० दिनांक ११ फरवरी, १९५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, १० फरवरी, १९५८)

श्री गुरुमुख निहालसिंह, राज्यपाल, राजस्थान, का अभिभाषण

प्रातः ११.५ बजे राज्यपाल महोदय ने सभा भवन में पधार कर इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्यों के सम्मुख कृपा पूर्वक अपना अभिभाषण दिया।

मंगलवार, दिनांक, ११ फरवरी, १९५८ की कार्य-सूची

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं वाद–विवाद ।

———